(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्किाएं नहीं रखी जाती हों।

(iv) कर-निर्धारिती आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार अपनी आय विवरणी नियमित रूप से आयकर प्राधिकारी के समक्ष फाइल करेगा।

(v) कि विघटन की स्थिति में अतिरिक्त राशियाँ और परिसम्पत्तियां समान उद्देश्यों वाले धर्मार्थ संगठन को दे दी जाएंगी।

[अधिसूचना सं० 162/2003/फा० सं०197/75/2003-आयकर नि०-1]

आई० पी० एस० बिन्द्रा, अवर सचिव

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 3rd July, 2003

(INCOME-TAX)

S. O. 1880.—In exercise of the powers conferred by the sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "The Jesuit Madurai Province, Dandigul, Tamil Nadu" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1997-1998 to 1999-2000 subject to the following conditions namely :—

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its fund (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in Sub-section (5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income, being profits and gains of business unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business;

(iv) the assessee will regularly file its return of income before the Income-tax authority in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961;

(v) that in the event of dissolution, its surplus and the assets will be given to a charitable organisation with similar objectives.

[Notification No. 162/2003/F. No. 197/75//2003-ITA-I]

I. P. S. BINDRA, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 2003

का० आ० 1881.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आदेश का० आ० 67(अ) तारीख 23 जनवरी, 2003 में, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 23 जनवरी, 2003 में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, खंड (3) के उप-खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

(घ) बासमती चावल के किसी परेषण के मामले में, जिसके लिए ऊपर उपखंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित मानक लागू नहीं होते हैं या किसी अन्य आकस्मिकता में, स्थाई समिति द्वारा बनाए गए मानक लागू किए जाएंगे; जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :—

1. संयुक्त सचिव, निर्यात संवर्धन (कृषि) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली —अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (फसलें), कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली —सदस्य
3. निदेशक (निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद्, नई दिल्ली —सदस्य
4. संयुक्त आयुक्त (एस एण्ड आर) उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली —सदस्य
5. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से प्रतिनिधि —सदस्य
6. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से प्रतिनिधि —सदस्य
7. अखिल भारतीय चावल निर्यातक संगम, नई दिल्ली से प्रतिनिधि —सदस्य

[फाइल सं० 6/2/2000-ईआई एण्ड ईपी]

राज सिंह, उप सचिव

पाद टिप्पण :—मूल आदेश का०आ० 67(अ) दिनांक 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित हुआ था।

Indiacode

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 25th June, 2003

S. O. 1881.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, hereby makes the following amendments to the Order of Government of India in the Ministry of Commerce and Industry S.O. 67(E) dated 23rd January, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 23rd January, 2003, namely :—

In the said Order, after sub-clause (c) of clause (3) the following shall be added :—

(d) in the case of any consignment of Basmati Rice for which standards mentioned at sub-clauses (a), (b) and (c) above are not applicable or in any other contingency, the standards formulated by a Standing Committee consisting of the following members shall be made applicable :—

1. Joint Secretary, Export Promotion (Agriculture), Ministry of Commerce and Industry, New Delhi —Chairman
2. Joint Secretary (Crops), Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan, New Delhi —Member
3. Director (Inspection and Quality Control), Export Inspection Council, New Delhi —Member
4. Joint Commissioner (S&R) Ministry of Consumer Affairs, Department of Food and Public Distribution, New Delhi —Member
5. Representative from Indian Agricultural Research Institute, New Delhi —Member
6. Representative from Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority —Member
7. Representative from All India Rice Exporters' Association, New Delhi —Member

[F. No. 6/2/2000-EI&EP]

RAJ SINGH, Dy. Secy.

Footnote :—The Principal Order was published vide S.O. 67(E) dated 23rd January, 2003.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2003

का० आ.०1882.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में दूरदर्शन महानिदेशालय, आकाशवाणी महानिदेशालय (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों, जिनके 80% से अधिक कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :—

1. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, अल्मोड़ा
2. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, पिथौरागढ़
3. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, चम्पावत
4. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, दावणगेरे
5. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, औरंगाबाद
6. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, अहमदनगर
7. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, बीड़
8. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, जालना
9. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, मनमाड़
10. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, मालेगांव
11. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, सटाणा
12. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, राजमंड्री
13. दूरदर्शन उच्च शक्ति प्रेषित्र, राजमंड्री
14. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, अमलापुरम
15. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, काकिनाड़ा
16. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, भीमवरम
17. दूरदर्शन केन्द्र, गुलबर्गा
18. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, भुसावल
19. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, भुसावल
20. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, रावेर
21. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, खामगांव
22. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, बुलढांणा
23. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, चिखली
24. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, मेहकर
25. दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, मंडी
26. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, मंडी
27. दूरदर्शन अल्प शक्ति प्रेषित्र, सुन्दर नगर

IndiaCode